

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 1/02/2022

क्र./डी.डी.3/पी.एन.डी.टी./2022/20

प्रति,

समस्त,
जिला कलेक्टर एवं जिला सागुचित प्राधिकारी,
पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट, म.प्र।

विषय :- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत पंजीकृत केन्द्रों में अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के साथ स्थापित Tracker Device की अद्यतन जानकारी के संबंध में।
संदर्भ :- राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड की बैठक दिनांक 17.08.2021 का कार्यवाही विवरण।

--0--

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत गठित राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड की बैठक दिनांक 17.08.2021 में माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी (अध्यक्ष) द्वारा पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम एवं नियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत केन्द्रों में अल्ट्रासोनोग्राफी मशीनों के साथ स्थापित ट्रेकर डिवाइज की जानकारी चाही गई है। इस हेतु निम्नलिखित प्रारूप में जानकारी dhspcpndt@gmail.com पर दिनांक 05.02.2022 तक प्रेषित करने का कष्ट करें-

जिला-					
क्र.	केन्द्र का नाम	केन्द्र के संचालक का नाम	अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन की संख्या	ट्रेकर डिवाइज की संख्या	क्या ट्रेकर डिवाइज में संचारित डाटा का विश्लेषण किया जाता है। (हाँ/नहीं)
1	2	3	4	5	6

संचालक

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

म.प्र.

भोपाल, दिनांक 1/02/2022

क्र./डी.डी.3/पी.एन.डी.टी./2022/
प्रतिलिपि :-

- 1 आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
- 2 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।
- 3 समस्त जिला नोडल अधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट म.प्र.।

संचालक

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें